

डिक्री बमुकददमें इब्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 151/2023

दायर दिनांक 24.07.2023

वादी

- मो० रफिक पुत्र मनोहर खां
उर्फ मनोहरदीन जाति शैरानी
निवासी खिजरपुरा, शैरानी
आबाद तहसील डीडवाना जिला
नागौर राज०।

प्रतिवादीगण

- भंवरू खां पुत्र मनोहर खां
- बरकत अली पुत्र मनोहर खां
- अली मो० पुत्र मनोहर खां
- उस्मान खां पुत्र मनोहर खां
- मोहम्मद आरीफ पुत्र सुल्तान खां
- मो० अशरफ पुत्र सुल्तान खां
- गुलाब बानों पत्नी सुल्तान खां
- बरकत बानों पुत्री मनोहर खां
- फातमा पुत्री मनोहर खां
- अमराव बेगम पत्नी मनोहर खां
- लाल मोहम्मद पुत्र इब्राहिम खां
- शोकत अली पुत्र इब्राहिम खां
- मेहबत अली पुत्र इब्राहिम खां
- मो० अशरफ पुत्र इब्राहिम खां
- भंवरी पुत्री इब्राहिम खां
- सुखा पुत्री इब्राहिम खां
- जोरा पुत्री इब्राहिम खां
- रफिका पुत्री इब्राहिम खां
- अफरोज बानों पुत्री इब्राहिम खां
- हाजरा पत्नी इब्राहिम खां
- हाकम अली पुत्र गनी खां
- शहादत अली पुत्र गनी खां
- मो० हुसैन पुत्र गनी खां
- शकुर पुत्र पुत्र गनी खां
- युसुफ अली पुत्र गनी खां
- युनुस पुत्र गनी खां
- रुखसाना पुत्री गनी खां
- स्तामत पत्नी गनी खां
- सुलेमान पुत्र चान्द खां
- भंवरू खां पुत्र लोडु खां
- मोती खां पुत्र लोडु खां
- सतार खां पुत्र लोडु खां
- अ० जब्बार पुत्र लोडु खां
- सोनल पुत्री लोडु खां
- रुकिया पुत्री लोडु खां
- गुलाब पुत्री लोडु खां
- रहमत पुत्री लोडु खां
- इस्ताम पुत्री लोडु खां
- जुली पत्नी लुकमान खां
- अ० कादरी पुत्र लुकमान खां
- अमन पुत्र लुकमान खां
- मुशरफ पुत्र लुकमान खां
- वसीम पुत्र पुत्र लुकमान खां
- सुल्ताना पुत्री लुकमान खां
- सलमा पुत्री लुकमान खां
- शहनाज पुत्री लुकमान खां
- रजिया पुत्री लुकमान खां
- आसिफा पुत्री लुकमान खां
- अमीन पुत्र लाल खां
- फातमा पुत्री लाल खां
- जैतुन पुत्री लाल खां

बनाम्



Wkaps
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

52. रूबीना पुत्री लाल खां (प्रतिवादी सं० 41 ता 43 व 48 लाबालिक जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी सं० 39 जुली) समस्त जाति शैरानी निवासीगण खिजरपुरा, शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।
53. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद।
54. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 16.04.2025

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी एवं श्री मो. युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 64 रकबा 1.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 250 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 251 रकबा 1.3100 हैक्टे०, खसरा सं० 1418/260 रकबा 0.0700 हैक्टे० गै० मु० रास्ता, खसरा सं० 1419/260 रकबा 0.6600 हैक्टे०, खसरा सं० 260 रकबा 0.6600 हैक्टे० वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का, शैरानी आबाद, भू०अभि० नि० क्षेत्र खाटू खुर्द की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी, हो।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिफ		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 151/2023

दायर दिनांक 24.07.2023

प्रतिवादीगण

वादी

1. मो0 रफिक पुत्र मनोहर खां उर्फ मनोहरदीन जाति शैरानी निवासी खिजरपुरा, शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

1. भंवरू खां पुत्र मनोहर खां
2. बरकत अली पुत्र मनोहर खां
3. अली मो0 पुत्र मनोहर खां
4. उरमान खां पुत्र मनोहर खां
5. मोहम्मद आरीफ पुत्र सुल्तान खां
6. मो0 अशरफ पुत्र सुल्तान खां
7. गुलाब बानों पत्नी सुल्तान खां
8. बरकत बानों पुत्री मनोहर खां
9. फातमा पुत्री मनोहर खां
10. अमराव बेगम पत्नी मनोहर खां
11. लाल मोहम्मद पुत्र इब्राहिम खां
12. शोकत अली पुत्र इब्राहिम खां
13. मेहबत अली पुत्र इब्राहिम खां
14. मो0 अशरफ पुत्र इब्राहिम खां
15. भंवरी पुत्री इब्राहिम खां
16. सुखा पुत्री इब्राहिम खां
17. जोरा पुत्री इब्राहिम खां
18. रफिका पुत्री इब्राहिम खां
19. अफरोज बानों पुत्री इब्राहिम खां
20. हाजरा पत्नी इब्राहिम खां
21. हाकम अली पुत्र गनी खां
22. शहादत अली पुत्र गनी खां
23. मो0 हुसैन पुत्र गनी खां
24. शकुर पुत्र पुत्र गनी खां
25. युसुफ अली पुत्र गनी खां
26. युनुस पुत्र गनी खां
27. रूखसाना पुत्री गनी खां
28. स्लामत पत्नी गनी खां
29. सुलेमान पुत्र चान्द खां
30. भंवरू खां पुत्र लोडु खां
31. मोती खां पुत्र लोडु खां
32. सतार खां पुत्र लोडु खां
33. अ0 जब्बार पुत्र लोडु खां
34. सोनल पुत्री लोडु खां
35. रूकिया पुत्री लोडु खां
36. गुलाब पुत्री लोडु खां
37. रहमत पुत्री लोडु खां
38. इस्लाम पुत्री लोडु खां
39. जुली पत्नी लुकमान खां
40. अ0 कादरी पुत्र लुकमान खां
41. अमन पुत्र लुकमान खां
42. मुशरफ पुत्र लुकमान खां
43. वसीम पुत्र पुत्र लुकमान खां
44. सुल्ताना पुत्री लुकमान खां
45. सलमा पुत्री लुकमान खां
46. शहनाज पुत्री लुकमान खां
47. रजिया पुत्री लुकमान खां
48. आसिफा पुत्री लुकमान खां
49. अमीन पुत्र लाल खां
50. फातमा पुत्री लाल खां
51. जैतुन पुत्री लाल खां
52. रूबीना पुत्री लाल खां (प्रतिवादी सं0 41 व 43 व 48 लाबालिक जरिये संरक्षक

बनाम्

विकास
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

शैरानी निवासीगण खिजरपुरा, शैरानी
आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज०।

53. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद।
54. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत
बंटवाडा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो० शरीफ शैरानी वकील वादी।
2. श्री युनुस सलीम वकील प्रतिवादीगण।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 16.04.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह खेत खसरा सं० 64 रकबा 1.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 250 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 251 रकबा 1.3100 हैक्टे०, खसरा सं० 1418/260 रकबा 0.0700 हैक्टे० गै० मु० रास्ता, खसरा सं० 1419/260 रकबा 0.6600 हैक्टे०, खसरा सं० 260 रकबा 0.6600 हैक्टे० वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का, शैरानी आबाद, भू०अभि० नि० क्षेत्र खाटू खुर्द की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 52 के मध्य खाता प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 18.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी हैं। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 64 रकबा 1.7800 हैक्टे०, खसरा सं० 250 रकबा 0.0500 हैक्टे०, खसरा सं० 251 रकबा 1.3100 हैक्टे०, खसरा सं० 1418/260 रकबा 0.0700 हैक्टे० गै० मु० रास्ता, खसरा सं० 1419/260 रकबा 0.6600 हैक्टे०, खसरा सं० 260 रकबा 0.6600 हैक्टे० वाकै सरहद शैरानी आबाद, पटवारी हल्का, शैरानी आबाद, भू०अभि० नि० क्षेत्र खाटू खुर्द की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 419 दिनांक 15.04.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas
(विकास मोहन भाटी) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas
(विकास मोहन भाटी) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
जिला नागौर